भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2702

<u>दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

श्रमोन्मुखी क्षेत्र के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव

2702 श्री राहुल गांधी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के श्रमोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या करवाया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त व्यवधान की व्यापकता के बावजूद कोई मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को प्रतिक्रियात्मक शुल्क के प्रभाव से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क), (ख) और (ग): सरकार भारत के निर्यात को लगातार निगरानी कर रही है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है।

(i)) पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के लिए वर्तमान में विश्व को पण्य-वस्तु निर्यात संबंधी भारत के निर्यात कार्य-निष्पादन का विवरण निम्नवत है:

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

	अप्रैल-अक्टूबर 2024	अप्रैल-अक्टूबर 2025
निर्यात	252.66	254.25

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ii) भारत के वैश्विक पण्यवस्तु निर्यात का क्षेत्रवार कार्य-निष्पादन निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://tradestat.commerce.gov.in/ftspcc/export_commodity_wise

(ग) सरकार एक व्यापक बहु-आयामी कार्यनीति के माध्यम से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरीकी सरकार के साथ गहन सहभागिता आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं, नए देशों के साथ एफटीए करना और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है। यह प्रत्याशा है कि ये उपाय भारत के व्यापार संबंधों में विविधीकरण और लचीलेपन को भी बढ़ावा देंगे।

उपरोक्त उल्लिखित कुछ उपायों का विवरण निम्नवत है:

1. निर्यात संवर्धन मिशन

यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम कई विखंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलन तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती ज़रूरतों का तेज़ी से प्रत्युत्तर कर सकता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से परिचालित होगा:

(i) निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि संबंधी सहायता जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

(ii) निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन संबंधी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता, और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति तथा व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

यह मिशन भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,
• अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
• अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और विखंडित बाजार पहुंच, और
• आंतरिक और कम निर्यात गहनता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी असुविधा

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। इन क्रियाकलापों से निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, नौकरियों की सुरक्षित करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

2. **निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना** को भी मंजूरी दी गई है ताकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके, ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की प्रत्याक्षा है। संपार्श्विक-मुक्त ऋण पहुँच से लिक्विडी मजबूत होगी, सुचारू व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित होगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूती मिलेगी।

3. **व्यापार राहत उपाय:**-भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी शुरू किए हैं, जिसमें ऋण चुकौती स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

4.**मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना:-** सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और इसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और ईएफटीए देशों और यूके जैसे हाल ही में हुए एफटीए से बने अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को शीघ्र पूरा करने के लिए बातचीत में भी लगी हुई है।

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव के संबंध में निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियोजित रहती है।

*****